राजघाट बेसेंट स्कूल

कृष्णमूर्ति फ़ाउन्डेशन इण्डिया
राजघाट फोर्ट, वाराणसी

आवश्यक जानकारियां और निर्देशावली

प्रकाशक :
राजघाट बेसेन्ट स्कूल
कृष्णमूर्ति फ़ाउन्डेशन इंडिया
राजघाट फोर्ट, वाराणसी

प्रथम संस्करण : 2019
संशोधित संस्करण : 2023
© राजघाट बेसेन्ट स्कूल

मुद्रक :
सत्तनाम प्रिंटर्स
पाण्डेयपुर, वाराणसी

विषय सूची

परिचय

भाग–1ः राजघाट बेसेंट स्कूल में जीवन शैली

- हॉस्टल में रहने की तैयारियां
- संतुलित शाकाहारी आहार
- जलपान/जंक फूड
- पैसे–रुपयों से जुड़ी जानकारियां
- पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनिफ़ॉर्मऔरअन्य वस्तुएं
- मोबाइल फ़ोन और खेल–कूद से सम्बंधित सामान
- छात्र–छात्राओं के आपसी सम्बन्ध
- उत्पीड़न
- माता–पिता के साथ बातचीत
- जन्मदिन, त्यौहार, समारोह वगैरह
- स्कूल की समयावधि
- मेडिकल सुविधाएँ और आवश्यकताएं

भाग–2ः माता पिता का स्कूल में आना और छात्रों की यात्रायें

- स्कूल के टर्म के दौरान माता–पिता का आना
- स्टडी सेंटर के गेस्ट हाउस का उपयोग
- डाइनिंग हॉल का उपयोग
- परिवहन की सुविधाएँ

भाग–3ः प्रशासनिक जानकारियां

- फीस का भुगतान
- बच्चों को स्कूल से वापस ले जाने सम्बंधित जानकारियां और फीस की वापसी
- विदेशी पासपोर्ट

अनुसूची

प्रिय माता-पिता/अभिभावक,

माता-पिता और छात्रों को स्कूली जीवन के कई व्यावहारिक पहलुओं से परिचित कराने के उद्द्येश्य से यह पुस्तिका तैयार की गयी है। इसका मकसद है आपको कुछ बुनियादी जानकारियां देना, यहाँ के प्रशासनिक तरीकों के बारे में बताना और साथ ही कुछ ऐसे बिन्दुओं पर रोशनी डालना जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और साथ ही रिहायशी स्कूली जीवन के साथ जुड़े हैं। पुस्तिका में कुछ नियम और निर्देशावली हैं जिनकी मदद से स्कूल में एक ख़ास तरह की संस्कृति तथा ख़ास किस्म का माहौल तैयार करने में मदद मिलती है। माता-पिता से हम अपेक्षा करते हैं कि वे इस पुस्तिका की विषय-वस्तु से पूरी तरह अवगत हो जाएँ।

संक्षिप्त विवरण के बाद सबसे पहले हम आपको राजघाट एजुकेशन सेंटर और राजघाट बेसेंट स्कूल के विषय में बतायेंगें, स्कूल के ध्येय के बारे में बतायेंगें और कुछ नियम-कायदों से भी आपका परिचय करायेंगें। यह सभी तीन मुख्य खंडों में है।

भाग-अः स्कूल में जीवन-चर्या

इस भाग में शामिल हैंः बोर्डिंग स्कूल के लिए तैयारियां, संतुलित शाकाहारी आहार, जलपान वगैरह, रुपये-पैसे से सम्बंधित जरूरी बातें, कपड़े और अन्य वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें बच्चों के साथ नहीं भेजा जाना है, माता-पिता के साथ बात-चीत के नियम, जन्मदिन और समारोह के अन्य अवसर, मनोरंजन, स्कूल और अवकाश की अवधियाँ, स्कूल के दिनों में अवकाश, मेडिकल सुविधाएँ और जरूरतें।

भाग-बः माता-पिता का आना और छात्रों की यात्राएं :

स्कूल के दौरान माता-पिता का आना, गेस्ट हाउस में उनका ठहरना, डाइनिंग हॉल का उपयोग, परिवहन की सुविधा

का उपयोग, अवकाश के दौरान यात्राएं और विदेशी पासपोर्ट्स से सम्बंधित जानकारियां और नियम, पुस्तिका के इस भाग में शामिल की गयी हैं।

भाग–स : प्रशासनिक सूचनाएं

इस भाग में शामिल किये गए हैंः फीस का भुगतान, भुगतान का तरीका, आवासीय दर्जे में बदलाव के कारण फीस में परिवर्तन, डिपाजिट संबंधित व्यय, छात्रों को स्कूल से हटाना, स्कूल ऑफिस आदि।

जब तक आप का बच्चा या बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हों, कृपया इस पुस्तिका को अपने पास ही रखें।

प्रिंसिपल

परिचय

''गंगा गांवों, छोटे शहरों और घने जंगलों से होकर गुजरते हुए बड़े शानदार तरीके से पूर्व की ओर मुड़ती है। पर यहाँ, शहर के नीचे, पुल से नीचे, नदी और इसके उस छोर के तटपर, बाकी सभी तटों की आत्मा बसती है। हर नदी का अपना एक गीत होता है, अपना ही आनंद और अपनी ही शरारत। पर यहाँ के मौन में ही समूची धरती, सारा आकाश समाया हुआ है।

यह एक पवित्र नदी है, जैसी कि बाकी सभी नदियाँ होती हैं, पर फिर भी यहाँ, इस लम्बी, घुमावदार नदी में विराट गहराई और विनाश की सौम्यता है'' –जे. कृष्णमूर्ति

कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया का राजघाट एजुकेशन सेंटर, काशी की पावन नगरी में वरुणा और गंगा के संगम पर, 300 एकड़ के खूब सूरत कैंपस में बसा हुआ है। महान दार्शनिक और विश्व शिक्षक जिद्दू कृष्णमूर्ति ने इसकी स्थापना 1928 में की थी। 1927 में कृष्णमूर्ति ने गंगा के तटपर एक शैक्षिक केंद्र स्थापित करने की अपनी मंशा ज़ाहिर की। क्वींस कॉलेज, वाराणसी के प्रिंसिपल और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य श्री सन्जीवराव को उन्होंने 400 एकड़ ज़मीन खरीदने के लिए कहा। सैन्य भूमि निदेशक के साथ लम्बी बातचीत के बाद 1928 में ऋषिवैली ट्रस्ट ने राजघाट फोर्ट की 150 एकड़ ज़मीन खरीदी जो गंगा के तट के किनारे सरैताबाद गाँव में थी। सराय मोहना गाँव की ज़मीन पवित्र भूमि मानी जाती है क्योंकि ऐसी किंवदंती है कि राजघाट से सारनाथ की दूरी बुद्ध ने इसी गाँव के मार्ग पर चलते हुए तय की थी। बच्चों के स्कूल का निर्माण शुरू हुआ 1934 में। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के निजी वास्तु विद् श्री सुरेन्द्रनाथ कर ने असेंबली हॉल और प्राइमरी स्कूल के भवन का डिज़ाईन तैयार किया। दिसम्बर 1934 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही स्कूल का उद्घाटन हुआ। चिल्ड्रेन्स हॉस्टल

(1 और 2) में वसंतपंचमी के दिन से ही नए भवन में लोग रहने लगे थे।

यह केंद्र कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं के आलोक में एवं उनके शिक्षा दर्शन को ध्यान में रख कर कार्य करता है। केंद्र की इकाईयां इस प्रकार हैं :

राजघाट बेसेंट स्कूल : मुख्य तौर पर यह एक आवासीय, अंग्रेजी माध्यम का सह शैक्षिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। 7 से 18 वर्ष की उम्र के करीब 275 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं।

वसंत महिला महाविद्यालय : यह एक डे कॉलेज है जिसमें करीब 2000 बालिकाएं पढ़ती हैं। कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कला, वाणिज्य और मानविकी संकायों में होती है। करीब 225 छात्राएं कैंपस में स्थित छात्रावासों में रहती हैं। वसंताश्रम 'फेज़ एक' और 'फेज़ दो' नाम के ये दो हॉस्टल वरुणा के इस पार और उस पार हैं।

कृष्णमूर्ति स्टडी सेंटर एवं रिट्रीट : कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं में रूचि रखने वालों के लिए यह सेंटर सुविधाएँ मुहैया करवाता है। आत्म-निरीक्षण के लिए जो थोड़ा समय अपने साथ बिताना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ ठहरने की भी व्यवस्था है।

रूरल सेंटर : अच्युत पटवर्धन स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करता है, संजीवन अस्पताल स्वास्थ्य की सुविधाएँ उपलब्ध करवाता है और महिला सशक्तिकरण इकाई उन महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण देती है जो आस-पास के ग्रामीण इलाकों में रहती हैं। कृषिफार्म एवं डेयरी स्कूल के बच्चों को ऑर्गेनिक अनाज तथा सब्जी एवं शुद्ध दूध उपलब्ध करता है।

राजघाट बेसेंट स्कूल

यह एक आवासीय, सह-शैक्षिक और गैर-सांप्रदायिक स्कूल है, जहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नयी दिल्ली (सी.बी.एस.ई.) के साथ सम्बद्ध है। छात्र और शिक्षक देश के कई भागों से आते हैं और अक्सर विदेशों से भी शिक्षक यहाँ मेहमान के तौर पर आकर पढ़ाते हैं। स्कूल प्रत्येक बच्चे के समेकित विकास का प्रयास करता है। 7 से 18 वर्ष के बीच की उम्र के यहाँ करीब 275 बच्चे हैं। पूरे कैंपस में बिखरे हुए 11 हॉस्टल में ये रहते हैं। शिक्षकों की संख्या 40 से अधिक है और इनमे से 25 हाउस पेरेंट हैं जो बच्चों के साथ छात्रावासों में ही रहते हैं।

शैक्षिक कार्यक्रम दो स्तरों पर विभाजित हैः जूनियर स्कूल (कक्षा 3 से 7 तक) और सीनियर स्कूल (कक्षा 8 से 12 तक)। कक्षा 8 के कार्यक्रम में जूनियर और सीनियर दोनों स्कूलों के तत्व शामिल हैं।

शिक्षक और छात्र का अनुपात 1 : 7 के आस-पास है और प्रत्येक 15 बच्चों पर 1 हाउस पैरेंट भी है। शिक्षकों के 4 से 6 वर्ष के अपने बच्चों के लिए स्कूल में एक नर्सरी अनुभाग भी है।

स्कूल का बुनियादी लक्ष्य :

समानुभूति और सम्मान के साथ शिक्षक एवं छात्र एक साथ रह सकें, ऐसा ही एक खुला हुआ माहौल बनाना स्कूल का मुख्य उद्येश्य है। शिक्षक और छात्र के बीच एक मैत्रीपूर्ण, उदार वातावरण है और यही ऐसी भूमि तैयार करता है जहाँ शिक्षा और सीखने की संभावना बनती है। शाश्वतता का एक बोध है यहाँ ; एक तरह की समृद्ध शान्ति समूचे कैंपस को आलिंगन बद्ध किये हुए है। गंगा और उसका प्रवाहमान जल स्कूल के अधिकतर हिस्सों से दिखाई पड़ता है और वरुणा

भी, जो यहाँ गंगा से मिलती है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी बच्चों ने स्कूल की धरतीपर खेल-कूद किया है, नृत्य किया है।

स्कूल का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण निर्मित करना है, जिसमे ये बातें शामिल हों :

- जीवन के गहरे प्रश्नों का अवलोकन करने, उन्हें देखने-समझने, उन पर मनन करने, प्रश्न करने और उन्हें समझने की क्षमता।
- जीवन की समस्याओं से निपटने की ईमानदारी, गरिमा और विश्वास।
- अपने अनुभवों से सीखना और सीखने की ज़िम्मेदारी लेने की क्षमता।
- जीवन के विभिन्न रूपों और सौन्दर्य के प्रति

  संवेदनशीलता।
- पढ़ाई-लिखाई में और अन्य किसी भी कार्य में श्रेष्ठता हासिल करने की क्षमता।
- शारीरिक विकास पर ध्यान देना और इसके लिए खेलकूद और पौष्टिक शाकाहारी आहार लेना।
- सादगी, सहयोग और आत्म-सजगता के मूल्यों के साथ रहना।
- आत्म-प्रचार के स्थान पर सहयोग का महत्व।

भाग–1

राजघाट बेसेंट स्कूल की जीवन शैली

'मानव को बिना किसी शर्त मुक्त करने' के कृष्णमूर्ति के उद्देश्य में शिक्षा की महत्व पूर्ण भूमिका रही है और इस प्रक्रिया में जीवन के बारे में सीखना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने हमारे समक्ष यह चुनौती रखी कि एक नई युवा पीढी निर्मित की जाए जो जीवन से जुड़े मूलभूत प्रश्न पूछ सके और स्वयं को भय, क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त कर सके; जो अतीत के बोझ से, परंपरा, सिद्धांतों और मतों के दबाव से मुक्त हो सके। यह एक अनूठी चुनौती है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही शामिल हैं। इस चुनौती के गर्भ में ही मानवता और समाज के पुर्नवीनीकरण के बीज छिपे हुए हैं।

बोर्डिंग स्कूल होने की वजह से ही यहाँ शिक्षक और छात्र के बीच एक करीबी, गहरा रिश्ता मुमकिन होपाता है। बच्चे का विकास सिर्फ यहाँ के शैक्षिक कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं; व्यक्ति के समेकित विकास को भी समान महत्व दिया जाता है।

यहाँ पाठ्यक्रम से इतर कई गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि खेल–कूद, योगा, जिम्नास्टिक्स, कला, संगीत, नृत्य, बागवानी, कंप्यूटर और साहित्यिक कौशल। अपनी–अपनी योग्यता के अनुसार सभी छात्र इनमें हिस्सा लेते हैं। जीवन और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए बच्चों को श्रम करने, पेड़–पौधों की देख–भाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वे अपने पर्यावरण को साफ़–सुथरा और सुन्दर रख सकें। पक्षियों और प्रकृति के अध्ययन के लिए तो कैंपस एक बहुत ही समृद्ध जगह है। छात्र दूसरे स्कूलों के साथ टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं और उन्हें यह समझाया

जाता है कि खेलना बस इसलिए ही चाहिए क्योंकि उसमे एक तरह का आनंद आता है। स्नेह का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाता है जिसमे ईनाम और सजा पर, तुलना और प्रतिस्पर्धा पर ज्यादा निर्भरता और जोर न रहे।

हॉस्टल में रहने की तैयारियां :

अपने घरों में जिस तरह के आराम की आदत बच्चों को है, वैसा आराम उन्हें स्कूल के हॉस्टल में संभवतः नहीं भी मिलता। पर यहाँ एक सादगी पूर्ण जीवन के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। छात्रावासों को एक सरल और सहकारी जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। हो सकता है कि वे कुछ ऐसी सुख-सुविधाओं की पेशकश न करें, जिनके बच्चे घर में आदी हो सकते हैं।

जो बच्चे पहली बार किसी बोर्डिंगस्कूल में जा रहे हैं, उन्हें एक नए तरह के जीवन के लिए विशेष रूप से तैयार होने की जरूरत है। बच्चों को तैयार करने के लिए माता-पिता से सहयोग की हमें बहुत अपेक्षा है।

बोर्डिंग स्कूल में आने वाले नए बच्चों को यहाँ के जीवन के अनुसार खुद को ढालने में थोडा वक़्त लगता है; वे अक्सर अपने घर और माता-पिता को याद करते रहते हैं। हाउस पेरेंट्स और शिक्षक उन्हें भावनात्मक और व्यावहारिक समर्थन देने की पूरी कोशिश करते हैं। इस स्थिति में यह जरूरी है कि माता-पिता अपने बच्चों की भावनाओं को समझें और नए स्कूल के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करने में उनकी मदद करें। इसका एक तरीका तो यह है कि बच्चे को प्रोत्साहित करें कि वह नए माहौल में खुदको ढालने की कोशिश स्वयं से करे; वे बच्चे से यह वादा न करें कि अगर वह खुद को ढाल न पाया तो घर पर उसे बेहतर विकल्प मिलेगें। हमारा यही अनुभव रहा ही कि कुछ ही हफ़्तों में

सभी बच्चे स्थिर हो जाते हैं और यहाँ के जीवन में ढल कर स्कूल के जीवन में खुश होने लगते हैं।

छोटे बच्चों के माता-पिताओं के लिए कुछ बातें ज्यादा प्रासंगिक हैं। 8 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को अक्सर अपनी देख-भाल करने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है, जैसे अपने कपड़ों को और बाकी चीज़ों को ठीक से रखना, ठीक से स्नान करना, दांतों को साफ़ करना, सही समय पर सोना, भारतीय या पश्चिमी तरीके के शौचालय का इस्तेमाल करना वगैरह। माता-पिता को बच्चों को इन चीज़ों के लिए और बाकी उन चीज़ों के लिए भी तैयार करना चाहिए जो उनकी नज़र में जीवन के लिए प्रासंगिक हैं।

छठी कक्षा से ऊपर के बच्चों से प्लेट, ग्लास, कटोरे, अन्तः वस्त्र और मोज़े वगैरह धोने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि हाउस पेरेंट्स और हॉस्टल कर्मी इन मामलों में बच्चों की मदद करते हैं, उनके कमरों और हॉस्टल की देख-भाल में उनकी सहायता भी करते हैं, पर यह बेहतर होगा कि बच्चा इन चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार होकर आये।

छात्रावास बच्चों के लिए एक साझा स्थान साझा करने और उसकी देखभाल एक साथ करने का मूल्य सीखने के लिए भी एक स्थान है। इस प्रकार बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे बारी-बारी से छात्रावास के सामान्य क्षेत्रों की सफाई करें, और बगीचे या बाहर की भूमि की देखभाल करें। यह कैंपस के अन्य स्थानों के लिए भी सही है, जिसमें क्लासरूम, लैब, असेंबली स्थल, रास्ते आदि शामिल हैं। कैंपस में रहने वाले लोगों के रूप में, बच्चों को इसके लिए जिम्मेदार महसूस होना चाहिए।

संतुलित शाकाहारी आहार

माता-पिता और बच्चों को यह मालूम होना चाहिए कि स्कूल में शाकाहारी भोजन ही दिया जाता है। छात्रों को

स्वास्थ्य वर्द्धक और संतुलित शाकाहारी भोजन दिया जाता है जिसमे गेंहू, चावल, दालें, मौसमी सब्जियां और फल के अलावा दूध से बनी चीज़ें और अंडे भी शामिल हैं।

सेंटर का अपना खुद का डेरी फार्म है और दूध की आपूर्ति वहीं से होती है। सेंटर के फार्म पर गेंहू और धान की खेती भी होती है। मौसमी ऑर्गेनिक सब्जियां भी फार्म में पैदा होती हैं और उन्हें स्कूल के किचेन में इस्तेमाल किया जाता है। भोजन के समय हाउस पेरेंट्स बच्चों के साथ होते है जिससे वे देख सकें कि बच्चे ठीक से खाना खा रहे हैं या नहीं। माता-पिता से निवेदन है कि बच्चों को समझाएं कि वे नियमित तौरपर पर्याप्त मात्रा में खाएं क्योंकि उनके विकास के लिए यह जरूरी है। गौरतलब है कि बच्चे एक ही तरह के भोजन को गंभीरता से नहीं लेते, ऊबजाते हैं और ठीक से खाना नहीं खाते। किचन प्रबंधक और हाउस पैरेंट इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि समय-समय पर बच्चों को बिलकुल नये तरह का भोजन मिलता रहे।

कृपया ध्यान दें कि हमारी नीति के अंतर्गत मांसाहारी भोजन स्कूल में नहीं परोसा जाता। इसलिए माता-पिता को स्कूल कैंपस में आते समय कोई भी मांसाहारी भोजन नहीं लाना चाहिए। इससे स्कूल के नियमों और नीतियों का उल्लंघन होगा।

जलपान/जंक फूड

डाइनिंग हॉल में परोसे जाने वाले भोजन के अलावा बच्चों को बिस्किट, चॉकलेट, आइस-क्रीम और तरह-तरह का नमकीन-मीठा वगैरह खाने की जबर्दस्त इच्छा होती रहती है। कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समय-समय निर्देश दिए हैं कि बच्चों के भोजन से नमक और चीनी की मात्रा घटाई जानी चाहिए। राजघाट बेसेंट स्कूल में इस दिशा में कई प्रबंध किये गए हैं, पर जंक फूड कैंपस में न आये इस बारे में घर

से ही बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है कि माता-पिता बच्चों को जंक फूड के खतरों के बारे में शिक्षित करें। जब इस तरह का भोजन बच्चों के हाथ लग जाता है तो वे बहुत अधिक मात्रा में इसे खा लेते हैं और फिर डाइनिंग हॉल में बना भोजन बर्बाद हो जाता है। ऐसी चीज़ों के लगातार कैंपस में आने से कचरे का निपटारा भी एक बड़ी समस्या बन जाता है।

हालाँकि हम जानते हैं कि बच्चों में अलग-अलग तरह के भोजन के प्रति गहरी ललक होती है। स्कूल में एक 'टक शॉप' है जहाँ बिस्किट्स, चॉकलेट्स, नमकीन वगैरह मिलते हैं। यहीं स्टेशनरी का सामान और प्रसाधन की सामग्री भी मिल जाती है। छात्रों को एक निश्चित राशि के भीतर अपने बोर्डर्स पर्सनल (बी पी) खाते से हर महीने यहाँ से सामान खरीदने दिया जाता है। खरीददारी उधार पर होती है और हाउस पैरेंट इसका हिसाब-किताब रखते हैं।

बच्चों की तलब को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रत्येक टर्म में एक बार हॉस्टल में ही भोजन बनाने की अनुमति देता है; साथ ही एक बार बच्चे हाउस पैरेंट के साथ शहर में बाहर खाने भी जाते हैं। हमने छात्रावासों में वितरण के लिए इन-हाउस स्नैक्स तैयार करना भी शुरू कर दिया है। निकट भविष्य में हम नमकीन वगैरह अपने स्कूल किचेन में ही बनाने की योजना बना रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं कि माता-पिता जंक फूड को लेकर हमारी फिक्र को समझें। इसलिए इस सम्बन्ध में ये नियम लागू होगें :

- खाने का कोई भी सामान बच्चों के लिए या उनके साथ नहीं भेजा जाएगा।
- जब माता-पिता बच्चों से मिलने आयें तो कोई भी भोजन सामग्री वे बच्चों के साथ छोड़ कर नहीं जाएंगे।

- यदि वे घर में बना कोई सामान या फल वगैरह लाते हैं तो उसे हाउस पैरेंट के पास छोड़ दें ताकि हॉस्टल के बाकी बच्चों के साथ उसे साझा किया जा सके।
- यदि बच्चों के पास भोजन सामग्री पायी जाती है तो उसे माता-पिता को वापस लौटा दिया जाएगा, या फिर हाउस पैरेंट ही उसे जब्त कर लेगें।

बच्चों को सही भोजन मिले, उचित और पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके लिए हमें आपकी ओर से पूरा सहयोग चाहिए।

पैसे से सम्बंधित मामले :

यह स्कूल की ज़िम्मेदारी है कि जब तक बच्चे हमारे साथ हैं उनकी देख-भाल हम करें। छोटी या लम्बी यात्राओं पर उनका जाना भी इसमें शामिल है। कैंपस में या यात्रा के दौरान वे जो कुछ भी खरीदते हैं, वह उधार पर होता है। इसलिए बच्चों को नकद रखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। माता-पिता से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि जब बच्चे स्कूल आयें तब उनके पास कोई भी नकद राशि न रहे।

आवासीय स्कूल के माहौल में यदि किसी के पास पैसे हों, तो उसे खर्च करने का प्रलोभन भी बना रहता है। हाउस पैरेंट की जानकारी के बगैर कभी बच्चे कैंपस के बाहर भी जा सकते हैं। ऐसा वे कई कारणों से कर सकते हैं, मसलन, खाने के लिए, फिल्म देखने के लिए, धूम्रपान या शराब पीने के लिए। हमारा दृढ विश्वास है कि बच्चों को नकद न रखने दिया जाए; साथ ही माता-पिता की सजगता और हाउस पेरेंट्स की सतर्कता से इन समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है।

जिन छात्रों के पास से नकद मिलता है, या जो कैंटीन,'टक शॉप' या यात्राओं के दौरान पैसे खर्च करते हुए पाए जायेंगें उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

कपडे और अन्य सामग्रीः

यह स्कूल की ही ज़िम्मेदारी है कि वह छात्रों को आवश्यक पुस्तकें और स्टेशनरी का सामान उपलब्ध कराये।

स्कूल के बच्चों का एक ख़ास यूनिफार्म है। स्कूल में लाये जाने वाले कपड़ों के लिए स्पष्ट नियम हैं जो बच्चे अपने यूनिफार्म सेंटर की विमेन एम्पावरमेंट यूनिट (महिला सशक्तिकरण इकाई) से सिलवाना चाहते हैं वे स्कूल आने के तुरंत बाद स्कूल ऑफिस के साथ संपर्क कर सकते हैं। उन पर खर्च करीब-करीब उतना ही होगा जितना इस काम के लिए कहीं भी अन्य, बाहर के लोग लेते हैं।

बच्चों ने स्कूल में अधिकांश काल के लिए एक निर्दिष्ट वर्दी पहनी है, महामारी के दौरान ड्रेस नीति में ढील दी गई थी। स्कूल के समय के दौरान और औपचारिक अवसरों के लिए, बच्चों को अब यूनिफार्म या ऐसे कपड़े पहनने की अनुमति है जो एक निर्दिष्ट ड्रेस कोड के अनुरूप हों। कृपया ध्यान दें कि छात्रों को किसी भी स्थिति में वर्दी के दो सेट होने की आवश्यकता होगी, जिसे परिसर के बाहर यात्राओं के दौरान और सार्वजनिक परीक्षा देते समय पहना जाना चाहिए।

ऊपर जिस फेहरिश्त का ज़िक्र किया गया है उसे कृपया गौर से देखें और सिर्फ वही कपड़े भेजें जो स्कूल में पहने जाने के लिए उपयुक्त हैं। मेक-अप की सामग्री और इत्र वगैरह स्कूल के लिए उपयुक्त नहीं और उन्हें नहीं भेजा जाना चाहिए। जूते-चप्पल और बाल बनाने के तरीके, जो लोगों का ध्यान अनावश्यक रूप से आकर्षित करते हों, उनसे परहेज किया जाना चाहिए। बच्चों को बताया जाएगा कि किस तरह के कपड़े और जूते-चप्पल स्कूल में विभिन्न मौकों के लिए

सही हैं। मसलन, कक्षा में एक ख़ास किस्म का औपचारिक यूनिफार्म जरूरी है जब किटी-शर्ट खेल-कूद के समय या सप्ताहांत के दौरान पहनी जानी चाहिए। हमारा अनुरोध है कि ऐसी टी-शट्र्स, या कपड़े जिन मे निर्माता कंपनी के विज्ञापन को खुले आम प्रदर्शित किया गया है, छात्रों के साथ न भेजी जाएँ।

हम चाहते हैं कि माता-पिता यह सुनिश्चित करें कि कपड़ों की संख्या निर्देशावली में लिखे नियमों के अनुसार हों। कपड़े यदि कम या अधिक हों, तो बच्चों के लिए समस्या का कारण बनते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे के हर कपड़े पर एडमिशन संख्या सिली हुई हो या फिर यह न मिटने वाली स्याही से लिखी हुई हो। हफ्ते में दो बार बच्चे पहने हुए कपडे लांड्री में भेजते हैं। उन पर एडमिशन नंबर लिखे होने पर उनकी पहचान हो जाती है और दूसरे बच्चों के कपड़ों के साथ वे गुम नहीं हो पाते, न ही आपस में मिलते हैं।

कपड़ों के अलावा छात्रों के साथ भेजी जाने वाली अन्य सामग्री की भी एक व्यापक सूची है जिसमे उन सभी चीज़ों का ज़िक्र है जिनकी स्कूल में बच्चों को जरूरत पड़ेगी। माता-पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सभी चीज़ें खरीदी जाएँ और छात्र के एडमिशन नंबर उनपर भी लिख दिए जाएँ।

कृपया सूची में लिखी हुई चीज़ों के अलावा और चीज़ें न भेजें। बच्चों के लिए उनकी देख-भाल मुश्किल हो जायेगी। साथ ही महंगी और आकर्षक चीज़ों के खो जाने का खतरा ज्यादा होता है। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र सादे जीवन का महत्त्व समझें।

कक्षा 8 और उससे ऊपर के छात्रों को सामान्य कलाई घड़ी की अनुमति है। कैमरा और म्यूजिक सिस्टम, महँगी अंगूठियाँ

और घड़ियाँ उन कीमती चीज़ों में हैं जिनका आमतौर पर इस्तेमाल होता है। इनके उपयोग की अनुमति नहीं है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि ज़्यादातर छात्रों को इनकी देख-भाल करने में मुश्किल होती है। आठवीं कक्षा और उसके नीचे के छात्रों के लिए हाउस पेरेंट्स को यह ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है कि वे बार-बार छात्रों को याद दिलाएं कि वे अपनी कीमती चीज़ों का ख्याल रखें। स्कूल के पास अपना डिजिटल कैमरा है और शिक्षकों की देख-रेख में उसे कुछ शर्तों के साथ उपलब्ध कराया जाता है। आमतौर पर यह उन छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है जो फोटोग्राफी क्लब में सदस्य हैं और फोटोग्राफी की बुनियादी हुनर सीखना चाहते हैं। वे ख़ास मौकों पर तस्वीरें ले सकते हैं, पर कैमरों का कोई निजी इस्तेमाल नहीं कर सकते। गौरतलब है कि बच्चे स्कूल में अपने खुद के डिजिटल कैमरा नहीं ला सकते।

मोबाइल फ़ोन्स :

इस बात को हम फिर से दोहराना चाहेंग`कि म्यूजिक सिस्टम्स, आई-पॉड, और ख़ासकर मोबाइल फ़ोन बच्चे अपने पास न रखें। छात्रों के लिए जैसी जीवन शैली हम यहाँ विकसित करना चाहते हैं, उसमे इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। इस नीति का कोई भी उल्लंघन बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा। ये चीज़ें ज़ब्त कर ली जायेंगीं और लौटायी नहीं जायेगीं।

सभी हॉस्टल में सबके इस्तेमाल के लिए एक म्यूजिक सिस्टम है जिसे हाउस पैरेंट की देख-रेख में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने देखा है कि अतीत में बच्चों के पास जब अपने म्यूजिक सिस्टम्स हुआ करते थे तो उनकी वजह से वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। इसलिए माता-पिता को बच्चों के साथ सीडी प्ल्येर्स, आई पॉड वगैरह बिलकुल भी नहीं भेजना चाहिए। की-बोर्ड और गिटार जैसे व्यक्तिगत वाद्य यंत्र लाये जा सकते हैं पर यदि बच्चे उन की ठीक से

देख-भाल नहीं करते तो स्कूल उनसे कह सकता है कि वे उन यंत्रों को वापस लेते जाएँ।

स्कूल में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए खेलकूद के उपकरण हमारे खेल विभाग के पास है। हालाँकि छात्र चाहें तो अपने टेनिस रैकेट, बैडमिंट न रैकेट या क्रिकेट बैट ला सकते हैं। छात्रों को अपने फुटबॉल, वॉलीबॉल, या बास्केटबॉल स्कूल में लाने की जरूरत नहीं।

वे चीज़ें जिन्हें बच्चों के साथ नहीं भेजा जाना है :

ऐसी चीज़ों की एक फेहरिश्त बनाने की भी जरूरत है जो किसी भी हाल में स्कूल में नहीं लाई जानी हैं। यह फेहरिश्त माता-पिता के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी :

1. नकद
2. मोबाइल फ़ोन, रेडियो, कैसेट प्लेयर, वॉकमैन, आई-पॉड या ऐसे ही अन्य म्यूज़िक सिस्टम
3. विडियोगेम्स या महंगे खिलौने
4. हीटर, आयरन वगैरह जैसे बिजली के उपकरण
5. वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, और कलाई घड़ियाँ
6. सोने के आभूषण, महंगे, भड़कीले कपडे और आभूषण
7. इत्र-फुलैल और मेक-अप का सामान
8. हाई हील और इस तरह के भड़कीले जूते-चप्पल
9. सीमित मात्रा में सूखे (250 ग्राम) मेवे के अलावा कोई भी अन्य भोजन सामग्री

नोट : जो बच्चे खुद से यात्रा करते हैं उनके मामले में नकद की एक वाजिब राशि और मोबाइल फ़ोन रखने की अनुमति दी जा सकती है। पर जैसे ही वे कैंपस में पहुंचे, उन्हें हाउस पेरेंट्स को ये सब लौटाना होगा।

लड़के-लड़कियों के आपसी सम्बन्ध :

गहरे विचार-विमर्श के बाद हमने निर्णय लिया है कि इस महत्व पूर्ण मुद्दे पर अपनी स्थिति लिखित रूप से स्पष्ट की जानी चाहिए। स्कूल की भाषा में इसे 'पेयरिंग' कहते हैं जिसका अर्थ है लड़के और लड़कियों के बीच एकान्तिक सम्बन्ध निर्मित होना। हम चाहते हैं कि छात्र और छात्राएं आपस में खुल कर मिलें, बात-चीत करें, पर हम 'वन टू वन' सम्बन्ध को हतोत्साहित करते रहे हैं और इसके कारण निम्नलिखित हैं :

1. इन विशेष संबंधों पर हम बराबर नज़र नहीं रख सकते।
2. हम समझते हैं कि इन संबंधों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकतीं।

माता-पिता से हमारा आग्रह है कि वे बच्चों के साथ बात-चीत के मार्ग खुले रखें, ताकि वे उनके बड़े होने के मनोवैज्ञानिक निहितार्थों को भी समझ सकें। जब बच्चे अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाएंगे तो उन्हें संबंधों के परिचित दायरे से बाहर रिश्ते बनाने की जरुरत कम पड़ेगी। इस नीति का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

इस नीति के उल्लंघन, विशेष रूप से जब वे परामर्श के बावजूद जारी रहते हैं, तो गंभीरता से लिया जाएगा और सुधारात्मक या निवारक कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। माता-पिता से अनुरोध है कि वे ऐसे मामलों पर अपने बच्चों के साथ संवाद के माध्यम खुले रखें। यह एक अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है, जिसके लिए कर्मचारियों (शिक्षकों, घर के माता-पिता, प्रशासक, निवासी परामर्शदाता), छात्र निकाय और माता-पिता के बीच खुली बातचीत और सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होती है।

उत्पीड़न

यह आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चा परिसर में सुरक्षित और संरक्षित महसूस करे। अन्यथा वह डर में जी सकता है, एक खोल में बंद हो सकता है और सीखने के कई अवसरों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

छात्रावास के माहौल में ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे दूसरों पर हावी हों या उनके साथ भेदभाव करें। यह राजघाट में भी अलग-अलग डिग्री में हो सकता है। हालाँकि, शिक्षक इस संभावना के प्रति बहुत सतर्क हैं, और जब वे इसे देखते हैं या यह उनके ध्यान में लाया जाता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। दुर्लभ मामलों में उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक हो सकती है।

हम लिंग, अन्य शारीरिक विशेषताओं, धर्म, जाति आदि के आधार पर बच्चों के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। इसके लिए भी परामर्श और संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होगी।

माता पिता के साथ बातचीत :

1. चिठ्ठियाँ

अपने बच्चों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप उनको अक्सर चिट्ठियां लिखें। बच्चे जब घर से बाहर रहते हैं तब वे अपने माता-पिता की चिट्ठियों का इंतज़ार करते हैं। घर के साथ संपर्क बनाए रखने का यह एक अहम् जरिया होती हैं। हम बच्चों से कहते रहते हैं कि वे हफ्ते में कम से कम अपने घर एक चिट्ठी ज़रूर लिखें। जूनियर और मिडिल स्कूल के हॉस्टल्स में हाउस पेरेंट्स सप्ताहांत में बच्चों को लेटर-फॉर्म्स बाँटते हैं जिससे वे हर हफ्ते अपने माता-पिता को चिठ्ठी भेज पाएं। ये चिट्ठियां हर

सोमवार को डाक से भेजी जाती हैं। यदि आपके इलाके में डाक सेवा दुरुस्त नहीं, तो स्पीड पोस्ट या कूरियर से भी उन्हें भेजने के इंतज़ाम किये जाते हैं।

आपके बच्चे को संबोधित एक पत्र में लिफाफे पर उसके घर का नाम लिखा होना चाहिए। कृपया सुनिश्चित करें कि पिन कोड (221001) लिखा हुआ है।

2. ई-मेल

स्कूल के सीनियर बच्चों के लिए ई-मेल की सुविधा है। छात्रों से हमारी अपेक्षा रहेगी कि वे अपने माता पिता के साथ बातचीत करते समय ज़िम्मेदारी दिखायेंगे।

3.फ़ोन कॉल्स

बच्चों के साथ समय-समय पर फ़ोन से बात हो सके इसके लिए हमने व्यवस्था कर दी है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखा जाता है कि बात-चीत की जरूरत कितनी है और इससे बच्चे का ध्यान पढाई और रोज़मर्रा के काम-काज से कहीं दूर तो नहीं हट जा रहा। बातचीत कितनी बार हो सकती है, यह जानकारी स्कूल द्वारा दे दी जाएगी। आमतौर पर ये वैकल्पिक सप्ताहांत पर होंगे।

कृपया इन बातों पर गौर करें :

- स्कूल ऑफिस के साथ सुचारू रूप से संपर्क बना रहे इसके लिए ज़रूरी है कि माता-पिता अपना सही पोस्टल पता, व्हाट्सएप, फ़ोन या फैक्स नंबर या ईमेल के बदलने की स्थिति में हमें जल्दी ही सूचित कर दें।
- स्कूल की तरफ से मिलने वाले किसी भी पत्र के मिलने की सूचना तुरंत दें।

जन्म दिन :

विशेष कर छोटे बच्चों के लिए तो उनके जन्म दिन बड़े ही ख़ास होते हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें एक विशेष दिन की तरह मनाया जाए। उन्हें इस बात का इंतज़ार रहता है कि घर से कोई चिट्ठी या बर्थडे कार्ड आएगा। मित्र और शिक्षक तो उन्हें शुभकामनाएँ देते ही हैं, अक्सर हाउस पेरेंट भी हॉस्टल में टक शॉप से मिठाइयाँ मंगवाते हैं और बच्चों के बीच बंटवाते हैं। आपका बच्चा इन मिठाइयों को अपने साथियों और शिक्षकों के बीच बाँट सकता है। यहाँ बरसों से यही होता रहा है, पर ऐसा करना ज़रूरी नहीं। आपका पत्र, एक बर्थडे कार्ड, मित्रों और टीचर्स का स्नेह और मिठाइयों का वितरण ही बच्चे को उस दिन 'स्पेशल' महसूस करा देता है। अपने जन्मदिन के अवसर पर बच्चा फ़ोन भी कर सकता है; उसके पास फ़ोन आ भी सकते हैं। इसके अलावा ईमेल पर जो सन्देश ऑफिस में आते हैं उन्हें बच्चे तक पहुंचा दिया जाता है।

त्यौहार, समारोह और उपहार की सामग्री :

स्कूल किसी धर्म विशेष को स्वीकार नहीं करता, यहाँ राष्ट्रीय अवकाश के अलावा कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं होता और न ही किसी धार्मिक त्यौहार को संस्थागत स्तर पर मनाया जाता है।

हालांकि, त्यौहार औपचारिक तौर पर तो नहीं मनाये जाते, पर होली, रक्षा बंधन जैसे त्यौहारों पर अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, शिक्षक और छात्र खुद से ही कुछ गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। वे अपने हॉस्टल सजाते हैं, असेंबली में ख़ास कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, साथ मिल कर गीत गाते और नृत्य करते हैं। इस तरह की गतिविधियाँ प्रोत्साहित की जाती हैं जिससे इस देश की सांस्कृतिक समृद्धि की झलक बच्चों को मिलती रहे।

इस नीति के तहत सादगी पर हम विशेष जोर देते हैं और छात्रों को त्योहारों पर उपहार खरीदकर बांटने की अनुमति नहीं दी जाती लेकिन बच्चों को हम कार्ड बनाने और अपने हाथों से छोटे उपहार बनाने के लिए ज़रूर प्रोत्साहित करते हैं जिन्हें वे इन अवसरों पर एक-दूसरे को दे पाएं।

मनोरंजन :

सप्ताहांत के दौरान बच्चों को फीचर फ़िल्में दिखाई जाती हैं। अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग फिल्मों का चयन किया जाता है। वर्ल्ड कप फाइनल इत्यादि के अलावा बच्चों को हम टी वी के कार्यक्रम नहीं दिखाते। हम महसूस करते हैं कि ऐसी कई और गतिविधियाँ हैं जिनमे बच्चे अपना समय और ऊर्जा दे सकते हैं।

पर हम द्रष्ट-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करते हैं या उन्हें इंटरनेट से स्ट्रीम कर और इनके लिए उपकरण को खरीदते भी हैं ताकि छात्र उन्हें समय मिलने पर देख सकें।

स्पिक मैके के जरिये हम संगीतकारों, नर्तकों और अन्य कलाकारों को भी समय समय पर स्कूल में आमंत्रित करते हैं। ये संगठन स्कूल में कार्यशालाएं भी आयोजित करते हैं। इनके अलावा हम मनोरंजन के कार्यक्रम, नाटक और संगीत के कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं जिनमे सभी उम्र के बच्चे शरीक होते हैं।

स्कूल टर्म :

स्कूल सत्र में दो टर्म और तीन अवकाश होते हैं ताकि शिक्षण सत्र में ज्यादा रूकावट न आये। बाकी काम-काज के हर दिन हम छात्र की उपस्थिति की अपेक्षा करत हैं और

इसलिये माता-पिता को बच्चों के लिए जल्दी जाने और देर से आने की अनुमति नहीं मांगनी चाहिए, जब तक बच्चों को कोई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या न हो।

टर्म के दौरान अवकाश :

स्कूल टर्म के दौरान छात्रों को छुट्टी की अनुमति आमतौर पर नहीं दी जाती। सिर्फ अत्यावश्यक कारणों से ही ये छुटियाँ स्वीकृत हो सकती हैं। आमतौर पर बच्चे टर्म के दौरान त्यौहार, पारिवारिक रस्मों या धार्मिक समारोहों के लिए छुट्टी पर नहीं जा सकते।

शादी-विवाह के मौकों पर बच्चों को घर जाने की अनुमति दी जा सकती है, यदि विवाह उनके अपने ही भाई-बहन का हो या फिर बहुत ही करीबी रिश्तेदार का। ऐसी छुट्टियों के लिए माता-पिता को बहुत पहले से सूचना देनी होगी। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ तीन दिनों तक बच्चे को कैंपस से बाहर रहने की अनुमति दी जा सकती है। टर्म के दौरान अनुपस्थित रहना बच्चे के हित में नहीं क्योंकि उनके अध्ययन की लय इससे प्रभावित होती है और बाद में शिक्षक का भी उनकी मदद करने में दिक्कतें होती हैं। वे अपनी कक्षा में पिछड़ भी सकते हैं। हालाँकि, हम यात्रा की दूरी और गंतव्य तक पहुँचने के समय को भी ध्यान में रखते हैं, ख़ासकर उन छात्रों के मामले में जो दूर से आते हैं।

मेडिकल सुविधाएं और आवश्यकताएं :

राजघाट बेसेंट स्कूल उन बच्चों के स्वास्थ्य की देख-भाल के लिए प्रतिबद्ध है जिन्हें हमारे पास छोड़ा गया है। किसी आवासीय स्कूल में कभी भी यह संभावना बनी रहती है कि किसी बच्चे को मेडिकल सहायता की जरुरत पड़ जाए। अक्सर ये सामान्य मामले होते हैं, जैसे खेलकूद के दौरान लगने वाली चोटें, सर्दी-खांसी, फ्लू जैसी वायरल बीमारियाँ, या अपच। स्कूल के अपने प्रशिक्षित डॉक्टर हैं जो कैंपस में

ही रहते हैं जो सलाह मशविरे के लिए हर वक्त उपलब्ध होते हैं। स्कूल के अपने नियम हैं जिनके तहत सामान्य रोगों का इलाज डॉक्टर करते हैं और जरुरत पड़ने पर हमारे वेलनेस सेंटर में उन्हें भर्ती भी कर देते हैं।

इसके अलावा स्कूल शहर के डॉक्टर्स, विशेषज्ञों और अस्पतालों के साथ करीबी सम्बन्ध बनाये रखता है। ज्यादा गंभीर बीमारियाँ होने पर बच्चों को वहां भेजा जा सकता है। ऐसी स्थिति जब भी आती है, हम जल्दी से जल्दी माता पिता को सूचित करते हैं।

बच्चों को सभी दवाएं स्कूल की डिस्पेंसरी द्वारा ही दी जाती है। हमने गौर किया है कि अक्सर बच्चे अपने साथ ही कई दवाइयां ले आते हैं। हम इसके खिलाफ हैं। स्वयं से रोग की पहचान करना और दवायें लेना बच्चों के लिए खतरनाक है। यह खतरा हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चों के लिए है क्योंकि दवाएं बड़ी आसानी से एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक पहुँच सकती हैं। जरूरत से ज्यादा दवाएं लेने और गलत दवाएं लेने के खतरे भी हैं। **कृपया अपने बच्चों के साथ दवाएं न भेजें।**

कुछ पुरानी बीमारियों जैसे दमा वगैरह के मामले में यह जरूरी है कि बच्चे के पास दवाइयां उपलब्ध रहें। ऐसे मामलों में कृपया स्कूल को बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी दे दें। उन्हें कौन सी दवाएं, किस मात्रा में और कितनी बार देनी है, यह भी बता दें। दवाइयां और डॉक्टर का पर्चा हाउस पैरेंट को दे दिया जाए जो इस बात का ख्याल रखेगें कि दवाओं को सही समय पर सुरक्षित तरीके से दिया जा सके। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस नियम का सख्ती के साथ पालन करें और सुनिश्चित करें कि स्कूल को आपके बच्चे के स्वास्थ्य से सम्बंधित पूरी जानकारी हो। इससे हमें मदद मिलेगी कि हम आपके बच्चे का ख्याल रख

पायें और हॉस्टल में भी एक सुरक्षित माहौल का निर्माण कर पायें।

कृपया इन बातों पर भी गौर करें :

- **गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल लौटने वाले सभी बच्चे और नए बच्चे अपने डॉक्टर से अपनी वार्षिक आवश्यक जांच करवा कर ही लौटें। कम से कम निम्नलिखित जांच जरूर करवाएं और स्कूल को जांच की रिपोर्ट सौंप दें:** ब्लडकाउंट, मल-मूत्र की जांच, हीमो ग्लोबिन का प्रतिशत, आर.बी.सी. काउंट, टी.सी., डी.सी., ई.एस.आर., ओवा, सिस्ट, एल्ब्यूमिन और शुगर।
- अपने बच्चे के टीकाकरण की समय सारणी अपने डॉक्टर से प्राप्त कर लें। बी.सी.जी., डी.पी.टी.,ओ.पी.वी, हेपेटाइटिस बी और खसरा के टीके लगवाना ज़रूरी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत एम् एम् आर, चिकनपॉक्स, मैनिंजाइटिस, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस-ए वैकल्पिक हैं।
- चश्मे पहनने वाले सभी छात्रों के लिए आवश्यक है कि वे कम से कम एक अतिरिक्त चश्मा अपने साथ रखें।
- बच्चे को स्कूल भेजने से पहले किसी विशेषज्ञ से उनके आँखों की जाँच जरूर करवा लें।

भाग–2

माता–पिता के दौरे और छात्रों की यात्राएं

माता पिता का स्कूल में आना :

एक दिवसीय यात्रा और प्रवास

हम सभी माता–पिता को शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एक बार परिसर में दो रात तक रहने के लिए और दूसरी बार एक दिन की यात्रा करने के लिए, जो शनिवार को एक ही कक्षा में बच्चों के अन्य माता–पिता के साथ होगा, ताकि एक औपचारिक पीटीएम आयोजित की जा सके। यदि इन यात्राओं के दौरान आप अपने बच्चे को परिसर के बाहर शहर में एक संक्षिप्त यात्रा के लिए ले जाना चाहते हैं, तो कृपया प्रधानाचार्य से अग्रिम अनुमति ले।

बुकिंग प्रक्रिया

गेस्ट हाउस का दो दिवसीय slot (सोमवार–मंगलवार, बुधवार–गुरुवार, या शुक्रवार–शनिवार) में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुक किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि गेस्ट हाउस रविवार को उपलब्ध नहीं होगा। आप online आरक्षण प्रणाली का उपयोग करके अपना slot बुक कर सकते हैंhttps://www.rajghatbesantschool.org/study-centrebooking यदि आप अपनी ठहरने की यात्रा को रद्द करने का निर्णय लेते हैं, तो कृपया हमें कम से कम एक सप्ताह पहले सूचित करें, ताकि आपका slot दूसरों को बुक करने के लिए उपलब्ध हो सके।

पहले सत्र में कक्षा 3-8 के माता–पिता के लिए और दूसरे सत्र में कक्षा 9-12 के माता–पिता के लिए ठहरने का दौरा है।

कृपया ध्यान दें कि एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रत्येक प्रकार का केवल एक ही दौरा किया जा सकता है।

प्रवास यात्राओं के दौरान

आपका कमरा आपके आने वाले दिन दोपहर 2 बजे से आपके जाने वाले दिन सुबह 10 बजे तक उपलब्ध रहेगा। इस प्रकार यदि आपने बुधवार–गुरुवार का slot बुक किया है, तो आप बुधवार को दोपहर 2 बजे से अपना कमरा ले सकते हैं और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से पहले कमरा खाली कर देना चाहिए।

आपके ठहरने के दौरान आपके बच्चे को गेस्ट हाउस में आपके साथ रात बिताने की अनुमति है। बच्चे को गेस्ट हाउस ले जाने से पहले कृपया घर के माता–पिता से मिलें। सुबह के खेल को छोड़कर, उसे हमेशा की तरह स्कूल की सभी कक्षाओं और गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। आप भोजन अध्ययन केंद्र के गेस्ट हाउस में कर सकते हैं और आप के बच्चे रात का भोजन आप के साथ अध्ययन केंद्र के गेस्ट हाउस में कर सकते हैं (बच्चे रात के खाने के अलावा सभी खाना स्कूल के डाइनिंग हाल में करेंगे)।

कृपया अपनी यात्रा के दौरान अपने बच्चे के कक्षा शिक्षक, घर के माता–पिता और अन्य शिक्षकों से मिलें। आप प्रातःकालीन सभा में (सुबह 8.25 बजे सभागार में) उपस्थित हो सकते हैं और उसके तुरंत बाद शिक्षकों के साथ मिलने का समय तय कर सकते हैं क्योंकि वे सभी सभा में उपस्थित रहेंगे। एक और समय जब आप शिक्षकों से मिल सकते हैं, वह स्कूल के मुख्य द्वार के पास आगंतु कलाउंज में सुबह के अवकाश (11.10-11.40 पूर्वाह) से ठीक पहले या बाद में है।

कृपया इन बातों पर ध्यान दें :

गेस्ट हाउस कृष्णमूर्ति स्टडी सेंटर के परिसर में है। यह स्थान जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं के गंभीर अध्ययन के लिए बना है। माता-पिताओं से आग्रह है कि वे इन बातों पर ध्यान दें :

- अपने साथ सशस्त्र सुरक्षा कर्मी और पुलिसकर्मी न लायें।
- सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइलफोंस का उपयोग न करें।
- बच्चों को गेस्ट हाउस के भीतर या बाहर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग न करें।
- स्टडी सेंटर के लॉन या बाहरी इलाकों में शोरगुल न करें।
- धूम्रपान-मदिरापान, मांसाहारी भोजन पकाना या खाना पूरी तरह वर्जित है।
- स्टडी सेंटर परिसर में फोटोग्राफी की अनुमति नहीं।

माता पिता के लिए यह एक अवसर है कि वे जे. कृष्णमूर्ति के शैक्षिक दर्शन को समझ सकें। आप स्टडी सेंटर की लाइब्रेरी में समय बिता सकते हैं, वहीं काम करने वाले सहयोगियों के साथ बातचीत कर सकते हैं या फिर अपने प्रवास के दौरान वहां होने वाले नियमित संवाद में हिस्सा ले सकते हैं।

वरुणा नदी के उस पार बने हमारे रूरल सेंटर में भी आपका स्वागत है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविका एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमारी सामुदायिक गतिविधियों की झलक आपको वहां देखने का मौका मिलेगा।

स्कूल की गतिवधियों, खेल-कूद, सांस्कृतिक घटनाओं में उपस्थित होने के लिए आप आमंत्रित हैं। जहाँ तक संभव है, आप उन में शरीक भी हो सकते हैं।

गेस्ट हाउस के कर्मियों को व्यक्तिगत रूप से टिप न दें। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई संस्कृति पनपे जिसमें सेवा टिप्स पर आधारित हो जाए। यदि आप कर्मचारी कल्याण के लिए योगदान देना चाहते हैं तो आप मैनेजर एकाउंट्स, राजघाट एजुकेशन सेंटर, या अधिकारी (प्रशासन और मानव संसाधन) के पास एक निश्चित राशि छोड़ सकते हैं और वही इस राशि का उचित वितरण करेंगे। कृपया सुनिश्चित करें की आपको अपनी धनराशि के बदले में एक रसीद भी मिले।

दिन के दौरे के दौरान

कृपया सुनिश्चित करें कि आप पीटीएम में भाग लें जो आमतौर पर असेंबलीहाल में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पीटीएम में आपका परिचय उन शिक्षकों से कराया जाएगा जो आपके बच्चों के सबसे सीधे संपर्क में हैं, और उनके पाठ्यक्रम के साथ-साथ उन विशेष आयोजनों से भी परिचित होंगे जिन में वे शामिल हैं। आपके पास विषय और गतिविधि के शिक्षकों, और घर के माता-पिता से मिलने का भी अवसर होगा। व्यक्तिगत रूप से। आपको पीटीएम के बाद में अपने बच्चों के साथ समय बिताने और उन्हें इसमें लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

स्कूल में आते वक्त इन बातों का ध्यान अवश्य रखा जाए :

- गेस्ट हाउस में बच्चे सिर्फ अपने माता पिता से मिलने जा सकते हैं। कृपया अपन बच्चे से यह न कहें कि वह अपने दोस्तों को भी आपसे मिलने के लिए गेस्ट हाउस ले आये।

- छात्रों के पारिवारिक मित्रों और सम्बन्धियों की अलग से यात्राओं को हम प्रोत्साहित नहीं करते क्योंकि बार-बार लोगों के आने से छात्र की सामान्य दिनचर्या पर असर पड़ता है।

- अपनी यात्राओं के दौरान कृपया अपने पालतू जानवरों को अपने साथ न लायें।

- उन इलाकों में अपने वाहन न लेजाएँ जहाँ उन्हेंले जाने की अनुमति नहीं, मसलन स्कूल के आसपास, डाइनिंग हॉल और हॉस्टल के आस-पास। यदि यह बहुत ही जरूरी हो तो स्कूल के कार्यालय में किसी अधिकारी से इसकी अनुमति ले लें।

- जब आप कैंपस में हों तब अपने मोबाइल फोंस हमेशा साइलेंट मोड पर रखें और उनका विवेकपूर्ण उपयोग ही करें। डाइनिंग हॉल, सभागार और स्कूल भवन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर उनके बिलकुल भी उपयोग न करें। किसी भी स्थिति में अपने बच्चों के अलावा किसी और बच्चे को फोन इस्तेमाल न करने दें। यदि आप अपने बच्चे को फोन का इस्तेमाल करने देते हैं तो यह आपकी सख्त देख-रेख में ही होना चाहिए। कैंपस में मोबाइल फोन, टेबलेट्स, लैपटॉप या अन्य उपकरणों का उपयोग बगैर किसी निगरानी के हो, या फिर फिल्म देखने या विडियो देखने जैसे काम के लिए हो, ऐसा हम बिलकुल भी नहीं चाहते।

- **कैमरा या फोन से अपन बच्चे के अलावा किसी और भी बच्चे की तस्वीर लेना बिलकुल वर्जित है, भले ही उनके माता पिता ने आपसे इसके लिए अनुरोध किया हो।**

भाग–3

प्रशासकीय जानकारियां

फीस का भुगतान

- स्कूल की फीस का भुगतान दो किश्तों में करना होगा। जिसकी जानकारी समय–समय पर स्कूल कार्यालय से उपलब्ध होगा।
- यदि नियत तारीख पर फीस जमा नहीं की जाती है तो साधारण विलंब शुल्क तब तक देना पड़ेगा जब तक स्कूल की फीस नहीं दे दी जाती।
- छात्रों के व्यक्तिगत खर्चों से सम्बंधित एक अलग लेजर स्कूल में रखा जाता है और इसका विवरण शैक्षिक वर्ष के आखिर में माता–पिता को भेज दिया जाता है। बाकी रकम अगले साल के डिपॉजिट में समायोजित कर दी जाती है या जब छात्र स्कूल छोड़ता है तो यह राशि माता–पिता को वापस लौटा दी जाती है।
- वार्षिक फीस में हॉबी, विशेष यात्राएं, अध्ययन यात्राएं या अन्य विविध खर्च शामिल नहीं। ये खर्च उनके निजी खाते में डाल दिया जाता है। छात्र के व्यक्तिगत जमा खाते में कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए।
- बकाया राशि को समायोजित करने के बाद स्कूल छोड़ते समय कॉशन डिपॉजिट वापस लौटा दिया जाता है।
- स्कूल का कोई भी भुगतान बैंक ट्रान्सफर द्वारा या 'के एफ आई राजघाट बेसेंट स्कूल' के पक्ष में वाराणसी में भुगतान हेतु चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है। ट्रान्सफर करते समय या चेक द्वारा भुगतान करते समय

कृपया छात्र का विस्तृत विवरण, जैसे कि– नाम, कक्षा और एडमिशन संख्या या ट्रान्सफर सन्देश चेक के उलटी तरफ जरूर लिखें। बैंक ट्रान्सफर करते समय स्कूल के नाम एक ईमेल डाल दें और उसमें बैंक और छात्र के बारे में विस्तार से विवरण दे दें।

- स्कूल की वेब साइट पर ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको 'इम्पोर्टेन्ट रिसोर्सेज फॉर पेरेंट्स' नाम के पेज पर जाना पड़ेगा।
- फीस के भुगतान के लिए कृपया हमारे बैंक खाते के विवरण पर ध्यानदें। इसमें सिर्फ चेक/आर टी जी एस/एन ई एफटी के द्वारा भुगतान करें। खाते में नकद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी ने नकद भुगतान किया, तो वह राशि वापस प्रेषक खाते में भेज दी जाएगी।

खाते का नाम : KFI Rajghat Besant School
खातासंख्या : 383502010135641
खाते का प्रकारः बचत
यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
राजघाट ब्रांच,
आई एफ एस सी कोड : UBIN0538353

खाते का नामः Krishnamurti Foundation India-
Rajghat Besant School Payment
खाता संख्या : 287010100094072
खाते का प्रकार : बचत
एक्सिस बैंक लिमिटेड, सिगरा ब्रांच, वाराणसी
आई एफ एस सी कोड : UTIB0000287

- स्कूल का अकाउंट्स कार्यालय प्रतिदिन प्रातः 9.30 से 1.00 बजे तक और फिर 2.30 बजे से 4.00 बजे तक खुलता है। शनिवार को यह प्रातः 9.30 बजे से 1.00 तक खुला रहता है। माता-पिता को हिदायत दी जाती है कि वे स्कूल को किये जाने वाले हर भुगतान की रसीद अपने पास संभाल कर रखें।

- स्कूल मैनेजिंग समिति समय-समय पर फीस के ढाँचे को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यह फीस से सम्बंधित नियमों के अनुरूप ही होगा।

छात्र को स्कूल से निकालना और फीस की वापसी :

स्कूल किसी भी छात्र को वापस भेजने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है :

- जो स्कूल कमिटी की पूर्व अनुमति से प्रिंसिपल की राय में ऐसा/ऐसी छात्र/छात्रा है जो स्कूल में मिलने वाली शिक्षा से लाभान्वित नहीं होगा/होगी।

- जिस छात्र/छात्रा ने स्कूल कमिटी की पूर्व अनुमति से प्रिंसिपल की राय में स्कूल के छात्र समूह का हिस्सा बने रहने का अधिकार खो दिया है।

- जिसकी फीस का निर्धारित समयावधि के दौरान भुगतान नहीं होता।

स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने से पहले, या उसके बाद भी माता-पिता यदि चाहें तो बच्चे को स्कूल से निकाल सकते हैं। इन सभी मामलों में फीस लौटाने की प्रक्रिया उसी नियम के मुताबिक होगी जिसका ज़िक्र वेबसाइट में स्पष्ट रूप से किया गया है। इन नियमों को 'इम्पोर्टेन्ट रिसोर्सेज फॉर पेरेंट्स' नाम के पेज पर देखा जा सकता है।

विदेशी पासपोर्ट :

जिन माता-पिता या अभिभावकों के पास विदेशी पासपोर्ट्स हैं उन्हें वीसा, रेजिडेंट परमिट या पुनर्नवीनीकरण से सम्बंधित उपाय खुद ही करने होंगे। जिन बच्चों के पास पासपोर्ट्स हैं वे उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल के कार्यालय में जमा करवा दें।

जिन गैर भारतीय छात्रों के वीसा की अवधि टर्म के दौरान ही समाप्त हो जाए, उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सम्बद्ध सरकारी विभाग ने सख्ती के साथ कहा है ही कि ऐसे बच्चों को छात्र वीसा लेना चाहिए जिससे वे बगैर किसी दिक्कत के स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।

इसलिए, आप अपने बच्चे के लिए स्टूडेंट वीसा प्राप्त करने का प्रयास करें। कृपया ध्यान दें कि स्कूल वीसा के नवीनीकरण में किसी तरह की सहायता नहीं कर सकता।

परिशिष्ट

कपड़े और अन्य वस्तुओं की फेहरिश्त :

सही ढंग से कपडे पहनना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे सादे और व्यावहारिक कपड़े पहनें। ऐसे कपड़े जिन्हें पहनकर वे स्कूल की गतिविधियों में हिस्सा ले सकें और ज़मीन पर पालथी मारकर आराम से बैठ भी सकें। हमारा ज़ोर है सादे कपड़ों पर, जो हर अवसर के लिए उपयुक्त होते हैं। हम छात्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि स्कूल में, खेल-कूद के समय और शाम को वे वैसे ही कपड़े पहनेंगे जो स्कूल के नियमों के अनुसार हैं।

स्कूल सीखने का स्थान है। आधुनिक और समकालीन फैशन के हिसाब से कपड़े पहनना और रहना स्कूल को स्वीकार्य नहीं। अंग प्रदर्शन करते हुए या तंगवस्त्र, जेल या इत्र का इस्तेमाल, मेक अप, लम्बेबाल रखना, क्रूकट और मोहॉककट जैसे हेयर स्टाइल रखना, लड़कों का बाली पहनना – इस तरह की चीज़ें स्कूल के लिए उपयुक्त नहीं समझी जातीं और स्कूल उन्हें बढ़ावा देना नहीं चाहता। स्कर्ट और शॉर्ट्स घुटनों से नीचे होने चाहिए; उससे छोटे नहीं।

इन चीज़ों के लिए विद्यार्थियों को बिलकुल भी अनुमति नहीं :

- स्कूल में स्लीवलेस (बगैर आस्तीन के वस्त्र) पहनना।
- कसे हुए और तंग, अंग प्रदर्शित करते हुए कपड़े पहनना।
- स्कूल में पारदर्शी कपड़ों से बने वस्त्र पहनना।
- स्कूल में किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, जैसे मोबाइल फ़ोन, म्यूजिक प्लेयर, कैमरा, महंगी घड़ियाँ लाना।
- स्कूल में नकद पैसे लाना।
- घर से स्कूल में खाने का सामान लाना।

माता–पिता से अनुरोध है कि फेहरिश्त में लिखे गए सामान की व्यवस्था करें। छात्रों की जरूरतों का गंभीर और व्यापक अध्ययन और जांच करने के बाद ही यह सूची तैयार की गयी है। यह बहुत ही जरूरी है कि प्रत्येक चीज़ पर छात्र की व्यक्तिगत संख्या या नाम के पहले अक्षर की कढ़ाई कर दी जाए।

निष्कर्ष

राजघाट बेसेंट स्कूल में, हम जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक दर्शन के अनुरूप एक बच्चे के समग्र विकास का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में माता-पिता प्रमुख हितधारक हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सामान्य दिशानिर्देश आपको एक सक्षम भूमिका निभाने में मदद करेंगे। यदि आपको अधिक जानकारीया स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो बेझिझक हमें यहां लिखें :

office@rajghatbesantschool.org